संक्षिप्त

न्यायिक अधिकारियो का परिचय सम्मेलन

मालपुरा। शुक्रवार को मालपुरा नवीन न्यायालय भवन मे नवीन न्यायिक अधिकारियो व अधिवक्ताओं का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। बार अध्यक्ष राजेन्द्र राजपुरोहित ने नवीन बार कार्यकारी पदाधिकारियो का परिचय करवाया तो नवीन न्यायिक अधिकारियो ने भी अपना परिचय देते हुये कहा कि बार व बैंच मे मधुर सम्बन्धो से ही फरियादियो को सुगम व त्वरित न्याय मिलता है। इस दौरान अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश स्नेहा जाखड व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पायल गौतम, सिविल न्यायधीश धर्मेन्द्र शर्मा, अभिभाषक संघ के पदाधिकारी भगवान गुर्जर, विरेन्द्र शर्मा आदि मौजूद रहै।

गौरव फौजदार का किया सम्मान

भरतपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नदबई ब्लॉक महामंत्री गौरव फौजदार एवं उनकी पत्नी मनु फौजदार के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारीयों द्वारा साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि गौरव फौजदार दंपति हमारे नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं आप दोनों ने अथक परिश्रम कर असिस्टेंट प्रोफेसर पद हासिल कर समाज को गौरवान्वित किया है। गौरव फौजदार पुत्र लालाराम निवासी करीली तहसील नदबई एवं मनु चौधरी पत्नी गौरव फौजदार दंपति का शादी के बाद आरपीएससी कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है ।

12 लाख 83 हजार रूपये का जुर्माना

टोंक। जिले में शुद्व आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अभिहित अधिकारी डॉ0 शैलेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2024-25 में एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत 273 नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला मे भिजवाये गये। जिसमें से 7 नमूने जांच में अनसेफ स्तर के एवं 86 नमूने सबस्टैण्डर्ड /मिसब्राण्डेड व कॉन्ट्रावेन स्तर के पाये गये।

सैनिकों के पराक्रम के बल पर हम चैन की सांस ले पा रहे हैं : बाजौर

अलवर । सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने शहीद स्मारक नवलपुरा मोरोडकलां में पहुंचकर शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भारत माता की जय एवं शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर जिन्दाबाद रहे के गगनभेदी नारे लगाए।

बाजौर ने शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर को नमन करते हुए उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जाबाज सैनिकों के पराक्रम के बल पर हम आज खुले आसमान में चेन की सांस ले पा रहे हैं। उन्होंनें शहीदों का दर्जा देवताओं से ऊपर बताते हुए कहा कि शहीद पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार सीमा पर तनाव है उसमें हमारे देश के जबाज सैनिक अपने पराक्रम के बल पर दुश्मन को नाको चने चबवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खडी है। उन्होंने युवाओं से आ ान किया कि देश सेवा के लिए अनुशासित जीवन शैली अपनाए। उन्होंने कहा कि शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर की प्रतिमा युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देती रहेगी।

सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर व अन्य अतिथिगण ने शहीद जितेंद्र सिंह तंवर की प्रतिमा का अनावरण किया।

राजगढ-लक्ष्मणगढ विधायक मांगीलाल मीणा ने कहा कि शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर का जीवन युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने अभावों के बावजूद देश सेवा हेतु सेना में जाकर देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ खडा है और नापाक इरादे वाले दुश्मन के दांत खट्टे कर रहा है।

सरस डेयरी के पूर्व चैयरमेन श्री बन्नाराम मीणा ने शहीद को नमन कर बताया कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के कारण अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। वे शहीद की प्रतिमा पर आकर नमन करेंगे।

उन्होंने बताया कि भूपेन्द्र यादव ने ग्रामीणों की मांग पर नवलपुरा गांव को राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव को भिजवा दिया गया है यथाशीघ्र नवलपुरा राजस्व गांव घोषित होगा। इसी प्रकार मुख्य सडक से नवलपुरा तक 4 किलोमीटर की सडक बनवाने की सांसद कोष से घोषणा की। साथ ही

- **नवलपुरा मोरोडकलां में शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर की प्रतिमा का हुआ अनावरण**

अवगत कराया कि गांव में अन्य विकास कार्य भी ग्रामीणों की मांग के अनुरूप कराए जाएंगे। कार्यक्रम में अतिथियों ने शहीद जितेन्द्र सिंह तंवर की माता श्रीमती सरोज देवी एवं परिजनों तथा जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल ओढाकर सम्मान किया। इस दौरान पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना व श्रीकान्त सदावत ने शहीद के जीवन एवं वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। मंच संचालन शिक्षाविद् रेणु मिश्रा ने किया।

इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रणजीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह, गोरधन सिंह सिसोदिया, बिजेन्द्र सिंह बबेली सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

जन स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में दस्तावेज नहीं दिए

कोटपुतली। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (च्भ्म्क), कोटपुतली के सहायक अभियंता के खिलाफ उपभोक्ता ने मामला दर्ज कर दिया है, जब विभाग ने 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75' के तहत माँगे गए 'लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ 24 घंटे में उपलब्ध नहीं कराईं।

शिकायतकर्ता 'राव धनबीर सिंह नंबरदार', निवासी आर. के. पुरम, कोटपुतली, जो 'स्महंस ।उइपज के राष्ट्रीय अध्यक्ष' भी हैं, ने विभाग को आवेदन देकर सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति 24 घंटे में उपलब्ध कराने की माँग की थी। विभाग की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35' के तहत 'परिवाद संख्या 55ध्2025' में जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (तृतीय) में शिकायत दायर की। आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए।

पशुओ के लिए पानी की टंकियां रखी व पक्षियों के लिए परिंडे बांधे

पावटा। उपखंड कार्यालय पावटा परिसर में माता सुंदरी देवी सर्व समाज उत्थान समिति पावटा द्वारा चलाये जा रहे अभियान परिंडा लगाओ, परिंदा बचाओ के तहत पावटा बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट ओमप्रकाश सैनी की अध्यक्षता व उपखंड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य एवं पावटा तहसील ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष राजेश शर्मा व शिक्षाविद गजानन्द टीलावत, पूर्व वाइस चेयरमेन नरपत सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में भीष्ण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पशुओ एवं गौ माताओ के लिए पानी की टंकियां रखी गई व पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए।

इस अवसर पर एमएसडी एनजीओ अध्यक्ष मोहन लाल सैनी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा एनजीओ का उद्देश्य एवं थीम के बारे में विस्तार से बताया व कहा कि यह अभियान क्षेत्र के भामाशाह एवं दानदाताओं के सहयोग से चलाया जा रहा है। पक्षी और प्रकृति हमारे जीवन के

- **परिंदा बचाओ अभियान के तहत बेजुबान पशुओ एवं गौ माताओ के लिए पानी की टंकियां रखी, पक्षियों के लिए बांधे परिंडे**

अभिन्न अंग है। प्रकृति स्वस्थ्य है तो हम स्वस्थ्य है। उपखंड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय ने कहा कि माता सुंदरी देवी सर्व समाज उत्थान समिति पावटा द्वारा बेजुबान पंछियों को गर्मी से बचाने के लिए परिंडा लगाओ, परिंदा बचाओ अभियान सराहनीय है। पक्षियों को बचाना हम सभी का फर्ज है। पावटा बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट ओमप्रकाश सैनी ने बताया पक्षियों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है संस्था की ओर से आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करने का संदेश भी दे रहे है। पावटा तहसील ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि परिंदों के लिए परिंडे लगाओ अभियान के अंतर्गत शहर के मुख्य चौराहे,धार्मिक स्थलों पर पक्षियों के लिए परिंडे बांधकर उनमें रोजाना पानी भरने का संकल्प लिया जाएगा। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठे। माता सुंदरी देवी सर्व समाज उत्थान समिति पावटा की इस मुहिम से मैं गदगद हूं। पक्षियों के लिए पानी भरने के लिए सकोरे लगाने से बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता। मूक प्राणियों की सेवा करना ही हमारी संस्कृति है। इस अवसर पर एमएसडी एनजीओ के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता मोहन लाल सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन नरपत सिंह शेखावत, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट बीएल आर्य, बालाजी पावटा मंडल महामंत्री हितेंद्र लाटा,एडवोकेट हजारीलाल यादव, सरपंच राजू जाट, फौजी जगदीश सेन, समाजसेवी कैलाश चंद शर्मा, ठेकेदार महावीर चावला एवं एमएसडी एनजीओ के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया औचक निरीक्षण

कोटपूतली। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण ने शुक्रवार को रघुनाथपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आसपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना, चिकित्सा इकाई पर बेहतर साफ-सफाई, चिकित्सा संस्थान पर चिकित्सा अधिकारी-प्रभारी कार्मिकों की उपस्थिति, विभाग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने पीएचसी के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। शौचालय और साफ-सफाई का जायजा लेते हुए सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने मौके पर मेडिकल ऑफिसर एवं 2 कार्मिक अनुपस्थित पाए जाने, ओपीडी कम पाए जाने एवं साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने एवं सफाई हेतु सम्बन्धित को पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों को फैलने से रोकने के उपायों को अपनाने के निर्देश दिये। स्टोर में दवाईयों का पर्याप्त भण्डारण रखने, चिकित्सा केंद्र पर दवाईयों को नियमानुसार व्यवस्थित तरीके से रखने, ओपीडी रजिस्टर में ओपीडी क्रमांक सही से डालने के निर्देश दिए एवं केंद्र पर आगंतुकों से संवाद कर आवश्यक सुधार के निर्देश प्रदान किए।

'राष्ट्रसेवा और समाज कल्याण में अपनी भागीदारी निभाएं'

खैरथल। कोटकासिम उपखंड क्षेत्र के कतोपुर स्थित श्री श्री 1008 श्री दुर्लभ नाथ महाराज आश्रम ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों की हौसला

- **भारतीय सैनिकों का हौसला अफजाई करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर दुर्लभ नाथ आश्रम की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 2 लाख का चेक सौंपा**

अफज़ाई स्वरूप अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को 2 लाख का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए

खैरथल अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को चेक प्रदान करते दुर्लभनाथ महाराज।

प्रदान किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने आश्रम के इस प्रयास की सराहना की ओर कहा यह योगदान न केवल आश्रम की सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना को दर्शाता है, बल्कि समाज के अन्य संस्थानों और नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणा है। आश्रम के दुर्लभ नाथ महाराज ने कहा कि राशि का सहयोग मातृभूमि की सेवा में जुटे भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान और आभार की भावना से किया गया है। इस अवसर पर महाराज ने युवाओं से आ ान किया कि वे राष्ट्रसेवा और समाज कल्याण में भागीदारी निभाएं।

जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक संपन्न

टोंक। जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। इस दौरान देवली-उनियारा विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर एवं निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में जिला प्रमुख ने कहा कि जिले में ग्रामीण विकास के तहत साढ़े चार वर्ष में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराएं गए है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। साधारण सभा में गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट पर चर्चा, पंचायती राज एवं नरेगा वार्षिक कार्य योजना एवं वर्ष 2025-26 को अनुमोदन एवं

जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई।

हस्तांतरित विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा ने जिला आबकारी अधिकारी को मदिरा की दुकानों को आवंटित स्थान पर ही खोलने एवं इसकी सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि इसके संचालक आवंटित स्थान के आसपास कई ब्रांच खोल लेते है जो नियमों का उल्लंघन है। इस पर विभाग सख्त एक्शन लें। उन्होंने आंधी-बरसात के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग के एसई को विद्युत तारों को टाइट करने पर जोर दिया, ताकि कोई हादसा नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी

- **साढ़े चार वर्ष में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराएं- सरोज बंसल**

विकास के पहिए है। लोगों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले फोन को अधिकारी उठाएं, ताकि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो सके। वही देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की मंशानुसार कार्य करें। जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़े। सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करें। विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

खोया पाया

श्री मान जी मेरे भूखण्ड सं- E2/GF/1जे.डी.ए. की योजना बी.एस.यु.पी. योजना ग्राम-जयसिंहपूरा बास जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन पत्र कही गुम हो गया है

NAME CHANGE

I have change my name Raksha Mankani to Bharti Mankani for all future purpose Add.-59, Chodhary Roduram Nagar, Patrakar Colony Mansarovar Jaipur

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लॉट नं. 55-ए, गणेश नगर-2सी, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड जयपुर मे स्थित है, जिस पर मेरे पति जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त प्लॉट नं. 55-ए के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड मे रहन (MORTGAGE) कर रखे है। यह कि मेरे पति जितेन्द्र कुमार का दिनांक 18.01.2025 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त प्लॉट के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिए अब मैं उक्त प्लॉट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती हूँ, यदि इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथि से सात दिवस तक की अवधि मे एचडीएफसी लिमिटेड, भगवान दास रोड, जयपुर (फोन नम्बर 0141-4140888) मे सम्पर्क करें। सूचित रहे।
दिनांक : 9/5/2025
सुगंधा शर्मा पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र कुमार, निवासी-फ्लेट नं. 104, प्लॉट नं. 8, 9, गणेश नगर-2सी, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर। (मोबाइल नम्बर 8769549231

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्योदान जॉगिड़ पुत्र श्री बुधा राम एवं संतोष पत्नी श्री श्योदान जॉगिड़, निवासीगण 164/30, सैक्टर नम्बर-16, प्रताप नगर, सॉगानेर, जयपुर के पुत्र योगेश जॉगिड़, पुत्रवधू उमा व अमित जॉगिड़, पुत्रवधू प्रियंका विगत कई दिनों से मेरे अभिभाष्यगण से अलग निवास कर रहे है तथा उनका व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण से अच्छा नही होने के कारण तथा मेरे अभिभाष्यगण को लगातार हैरान व परेशान करने व उनके कहे मे नही होने के कारण मेरे अभिभाष्यगण ने अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से उन्हे बेदखल कर दिया है। उनके द्वारा किये गये किसी भी लेन-देन व संव्यवहार की जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्यगण की नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर (यशवन्त सिंह चौहान) एडवोकेट
दिनांक-25-4-2025 मो.-7790835006

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य द्वारा एक प्लाट नम्बर 14, योजना राजहंस-3, ब्रह्मपुरी, जयपुर मे स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है को क्रय किया जा रहा है, यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति बाबत ऐडीए जयपुर द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 06.09.2002 को कमला देवी जेठवानी के नाम से जारी किया गया, तत्पश्चात उक्त सम्पत्ति के बाबत कमला देवी जेठवानी ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 22.06.2007 को एक वसीयतनामा अपने दो पुत्र राजकुमार एवं मोहनदास के हित मे निष्पादित किया, तत्पश्चात कमला दवी जेठवानी ने उक्त वसीयतनामें को निरस्त करते हुए एक वसीयतनामा निरस्तीकरण एवं पुनः वसीयतनामा दिनांक 03.09.2009 को श्री राज कुमार जेठवानी के हित मे निष्पादित किया, कमला देवी जेठवानी का स्वर्गवास दिनांक 15.05.2010 को हो गया उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त पुनः निष्पादित वसीयतनामा प्रभावी हो गया तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर राजकुमार जेठवानी उक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी हुआ। यह कि वर्तमान में श्री राज कुमार जेठवानी द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किया जा रहा है, उक्त सम्पत्ति बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म बैंक, वित्तीय संस्था, सगे सम्बन्धी या अन्य कोई वारिसान, जनसाधारण, इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि मे मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपत्ति / ऐतराजात मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें, उक्त अवधि गुजर जाने के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा उक्त अवधि के पश्चात इस आम सूचना बाबत् कोई भी आपत्ति/ ऐतराजात किसी भी न्यायालय मे शून्य व निरस्त समझी जायेगी।
B. C. Shankla Advocate, Mob. 9829063273

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
(राजस्व- द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांक: एफ-6 () उपराज- द्वितीय (सा.प्र.)/नविज./2025/22 दि. 30/04/2025
-: सार्वजनिक सूचना :-
मूल भूखण्ड संख्या 69, राजापार्क, जयपुर का दी चांदपोल रिफ्युजीज शॉपकीपर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सो. लि. जयपुर द्वारा श्री गोरधन दास के नाम से क्षेत्रफल 524.47 वर्गगज का भूमि का आवंटन किया गया था। श्री गोरधन दास की मृत्यु हो गई। दिनांक 28.10.1994 को दी चांदपोल रिफ्युजीज शॉपकीपर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सो. लि. द्वारा भूखण्ड संख्या 69, रामगली नं. 7, राजापार्क, जयपुर का नाम हस्तांतरण श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा पुत्र स्व. श्री गोरधन दास के नाम जारी किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सोसायटी द्वारा जारी नाम हस्तांतरण पत्र, अण्डारटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा पुत्र स्व. श्री गोरधन दास के पक्ष में क्षेत्रफल 524.47 वर्गगज का नाम हस्तांतरण पत्र एवं पट्टा जारी किया जाना है। इस नाम हस्तांतरण पत्र एवं पट्टा जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त राजस्व- द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तांतरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (राजस्व- द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 175/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्रीमती मधु बाला शर्मा पत्नी श्री हरी चरन शर्मा निवासी 41-शिवम नगर, एस.के.आई.टी.कॉलेज गेट-3 के सामने, जगतपुरा, जयपुर 302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत नोबल्स एकेडमी कार्यालय पता-41-शिवम नगर, जगतपुरा, जयपुर 302017 ने राजस्थान के सम्बन्ध मे जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 9.5.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 14.7.25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 176/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्रीमती विजय शर्मा पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी 9, कृष्णा नगर बी, 80 फीट रोड के पास, महेश नगर, जयपुर 302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत विजय सेवा संस्थान कार्यालय पता-9 कृष्णा नगर बी, 80 फीट रोड के पास, महेश नगर, जयपुर 302015 ने राजस्थान के सम्बन्ध मे जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 9.5.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 16.06.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 12/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. मेनका यादव पत्नि श्री जितेन्द्र यादव निवासी सिंघाना रोड, सन साइन विद्यालय के पास, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत सनराईज इन्टेग्रटेड एजूकेशनल ट्रस्ट, अलवर के न्यासियों में हुए परिवर्तन को दर्ज अभिलेख किये जाने के लिए प्रपत्र -8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 16.06.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश, स्थान एवं न्यायिक मजि. क्रम-3, श्रीमती निशा विरुद्ध अजय देवानी व अन्य जयपुर महानगर द्वितीय
वाद बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 1158/25
नाम सौरभ कुमावत पुत्र श्री आत्माराम जाति कुमावत स्थान 369, रामनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर
वादीगण ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 26 माह 05 सन 25 को दिन में 7.30 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी कारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 06 माह 05 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर कर दिया गया।
मोहर अदालत
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 23/25
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी - नाम Chand Kanwar पुत्री Sawat Singh जाति RAJPUT निवासि